मेसर्स पीएसए मुंबई इन्वेस्टमेंट्स पीटीई। सीमित

वी.

द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द जवाहरलाल

नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और ए. एन. आर.

(2018 की सिविल अपील No.9352)

11 सितंबर, 2018

[आर. एफ. नरीमन और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-मध्यस्थता खंड-प्रतिवादी संख्या 1 को सक्रिय करने के लिए जारी किया गया वैश्विक निमंत्रण

एक कंटेनर टर्मिनल परियोजना के विकास के लिए योग्यता के लिए अनुरोध (आर. एफ. क्यू.)-बोली को दो चरणों में विभाजित किया गया था-पहला, पात्रता का चरण और दूसरा, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर. एफ. पी.) अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2, एक संघ के रूप में पहले चरण में अर्हता प्राप्त की-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संघ प्रतिवादी संख्या 2 को दिया गया पुरस्कार पत्र बोली प्रक्रिया से बाहर हो गया-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी कारण दिखाएँ नोटिस। 1 बोली निष्पादित करने के लिए संघ को-चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थी द्वारा दिए गए और स्वीकार किए गए पुरस्कार पत्र को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वापस ले लिया गया था, इसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मध्यस्थता सूचना भेजी गई थी। 1 – अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पक्षकारों के बीच समझौते के माध्यम से कोई मध्यस्थता खंड नहीं बनाया गया था और मध्यस्थता खंड प्रत्यर्थी सं। 1 यह विधेयक के अनुकूल नहीं होगा क्योंकि उस खंड के तहत जिन विवादों पर निर्णय लिया जाना था, वे केवल एक रियायत समझौते से संबंधित थे, जो उच्च न्यायालय में दर्ज नहीं किया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पक्षों के बीच एक संपन्न अनुबंध था क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा पुरस्कार पत्र स्वीकार कर लिया गया था और चूंकि मध्यस्थता खंड पक्षों के बीच बोली दस्तावेज का एक हिस्सा है, इसलिए मध्यस्थता खंड पक्षों को नियंत्रित करेगा। अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः आर. एफ. पी. खंडों के अवलोकन पर, आर. एफ. पी. के अग्रभाग में एक अस्वीकरण यह स्पष्ट करता है कि केवल एक बोली प्रक्रिया थी जो पक्षों के बीच चल रही थी और उनके बीच कोई निष्कर्षित अनुबंध नहीं था-इस तरह की बोली प्रक्रिया उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा जारी किए जाने वाले पुरस्कार पत्र को शामिल करेगी, जिसमें अनुसूची के तहत दो और कदम शामिल होंगे, इससे पहले कि रियायत समझौते का मसौदा अंततः उत्तरदाता संख्या 1 और विशेष उद्देश्य वाहन के बीच एक समझौता बन जाए।

352 मेसर्स पी. एस. ए. एम. बी. आई. इन्वेस्टमेंट्स पी. टी. ई., लिमिटेड v. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के न्यासियों का बोर्ड

संघ द्वारा गठित-तत्काल मामले में, पुरस्कार पत्र द्वारा कोई पूर्ण और अयोग्य स्वीकृति नहीं थी -

कुछ बहुत

एक अनुबंध के रूप में कानून में लागू करने योग्य समझौता होने से पहले महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने थे।

इसके

अलावा,

यह मानते हुए कि एक मध्यस्थता खंड था जो पक्षों को नियंत्रित करता है, उक्त खंड पूरी तरह से अप्रभावी होगा क्योंकि यह केवल एक विशेष प्रयोजन वाहन और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच के विवादों को शामिल करेगा जो रियायत समझौते से उत्पन्न होते हैं जो अभी तक नहीं किया गया है, न कि प्रतिवादी संख्या 1 और अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-अनुबंध अधिनियम, 1872 एस। 7 .

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. प्रस्ताव के लिए अनुरोध के एक संयुक्त पठन पर

(आर. एफ. पी.) खंड, कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती हैं-(i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आर. एफ. पी. में सबसे आगे एक अस्वीकरण यह स्पष्ट करता है कि केवल एक बोली प्रक्रिया है जो पक्षों के बीच चल रही है और वह

(ii) यह समान रूप से स्पष्ट है कि इस तरह की बोली प्रक्रिया में उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा जारी किए जाने वाले पुरस्कार पत्र को शामिल किया जाएगा और उस अनुसूची के तहत दो और कदम उठाए जाएंगे, जिन पर विचार किया जाना है, इससे पहले कि रियायत समझौते का मसौदा अंततः उत्तरदाता संख्या 1 और इस उद्देश्य के लिए संघ द्वारा गठित विशेष प्रयोजन वाहन के बीच एक समझौता बन जाए (iii) कि बोली प्रक्रिया के पूरे चरण के दौरान, विवाद समाधान के लिए मंच विशेष रूप से मुंबई के न्यायालयों के पास है और (iv) जो इस चरण तक सही है।

रियायत समझौते में प्रवेश करते हुए, बोली प्रक्रिया को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कोई भी कारण बताए बिना रद्द किया जा सकता है। [पैरा 13] [372-जी-एच; 373-ए-बी]

2. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7 के तहत किसी प्रस्ताव को वादे में बदलने के लिए, स्वीकृति होनी चाहिए

पूर्ण और अयोग्य। इस मामले के तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि पुरस्कार पत्र द्वारा कोई पूर्ण और अयोग्य स्वीकृति नहीं है-एक समझौता होने से पहले दो या तीन बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे जो पार्टियों के बीच एक अनुबंध के रूप में कानून में लागू करने योग्य होगा।

[पैरा 15] [373-जी-एच] [2018] 13 एस. सी. आर.

3. अपीलार्थी ने ड्रेसर रैंड एस. ए. और भारत संचार निगम लिमिटेड दोनों पर सही ढंग से भरोसा किया। ड्रेसर रैंड एस. ए. में तथ्यों पर यह पाया गया कि जब तक कोई खरीद आदेश नहीं दिया जाता, तब तक पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होगा। वह सब जो

इस तरह का खरीद आदेश दिए जाने से पहले किया गया था जो केवल एक अनुबंध की प्रस्तावना होगी जिसे अनुबंध के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 16] [374-ए-बी]

4. भारत संचार निगम लिमिटेड में ड्रेसर रैंड एस. ए. के फैसले का पालन किया गया था, जो वर्तमान मामले के तथ्यों से बहुत मिलता-जुलता है। उस मामले में बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के खंड 30 में कहा गया है कि दिल्ली के न्यायालयों के पास खरीद की नियुक्ति के लिए मंडलियों को प्राधिकरण पत्र जारी होने तक निविदा से उत्पन्न विवादों या दावों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

आदेश देते हैं। इसके बाद ही मध्यस्थता का प्रावधान करने वाले अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 20 लागू हो सकता है। [पैरा 17] [374-एफ-जी]

5. अपीलार्थी ने उचित रूप से तर्क दिया कि यह मानते हुए कि एक मध्यस्थता खंड था जो पक्षों को नियंत्रित करता है, उक्त खंड

यह पूरी तरह से अनुपयुक्त होगा क्योंकि इसमें केवल एक विशेष प्रयोजन वाहन और उत्तरदाता संख्या 1 के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद शामिल होंगे। रियायत समझौता अभी तक नहीं किया गया है, और प्रत्यर्थी संख्या 1 और अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच नहीं। [पैरा 21] [377-डी-एफ]

एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एससीसी 696:

[2009] 10 एससीआर 373; ड्रेसर रैंड एस. ए. बनाम। बिंदल एग्रो केम लिमिटेड और अन्न। (2006) 1 एससीसी 751: [2006] 1 एस. सी. आर. 308; भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम। टेलीफोन

केबल्स लिमिटेड (2010) 5 एस. सी. सी. 212: [2010] 3 एससीआर 291

- पर भरोसा किया।

यूनिसी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (2009) 1 एस. सी. सी. 107 : [2008] 14 एस. सी. आर. 108; कोल्लीपारा श्रीरामुलु (मृत) अपने एल. आर. वी. द्वारा। टी. अश्वथ नारायण (मृत) उनके एल. आर. और अन्य द्वारा (1968) 3 एस. सी. आर. 387; आईनॉक्स विंड लिमिटेड बनाम।

थर्मोकैबल्स लिमिटेड (2018) 2 एस. सी. सी. 519 [2018] 1

एस. सी. आर. 86-संदर्भित।

मेसर्स पी. एस. ए. एम. बी. आई. इन्वेस्टमेंट्स पी. टी. ई., लि. वी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के न्यासियों का बोर्ड

मामला कानून संदर्भ

[2006] 1 एससीआर 308

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[2010] 3 एससीआर 291

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[2008] 14 एससीआर 108

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1968] 3 एससीआर 387

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2018] 1 एससीआर 86

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2009] 10 एससीआर 373

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 9352

2018 से।

उच्च न्यायालय के 01.03.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की मध्यस्थता याचिका संख्या 1227 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमित सिब्बल, दुष्यंत दवे,

श्री एड. , राजेंद्र बारोट, सुश्री लिज़ मैथ्यू, रोहन राजाध्यक्ष, सुश्री ओहरी निओगी, धीरज टोटला, विनय त्रिपाठी, अभिनव जगनाथन, एम. एफ. फिलिप, अभिषेक पुरी, यशार्थ मिश्रा, सुश्री भारती इंदुलकर, संतोष कृष्णन, सेंथिल जगदीशन, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, सुश्री सुरीती

चौधरी, सुश्री मृणाल कंवर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. तथ्यात्मक मैट्रिक्स जिसमें वर्तमान मामला उत्पन्न होता है वह यह है कि

उत्तरदाता संख्या 1 ने मार्च, 2009 में योग्यता के लिए अनुरोध का वैश्विक निमंत्रण (इसके बाद "आर. एफ. क्यू". के रूप में संदर्भित) जारी किया, जिसमें इच्छुक व्यक्तियों से डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर चौथी कंटेनर टर्मिनल परियोजना के विकास के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 02.03.2009 के आर. एफ. क्यू. दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से एक खंड था जिसके द्वारा बोली लगाने वाला एक एकल इकाई या एक हो सकता है। कंसोर्टियम। तथ्यों पर, अपीलार्थी और हमसे पहले प्रतिवादी संख्या 2 ने मिलकर एक संघ का गठन किया जिसमें अपीलार्थी संघ के प्रमुख सदस्य, तकनीकी सदस्य और वित्तीय सदस्य के रूप में थे। इस स्तर पर यह बताया जा सकता है कि अपीलकर्ता सिंगापुर में पंजीकृत कंपनी है, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 पंजीकृत कंपनी है।

भारत में।

3. आर. एफ. क्यू. की कुछ मुख्य विशेषताएं यह हैं कि आर. एफ. क्यू. स्वयं, सबसे आगे, एक अस्वीकरण के माध्यम से कहता है कि आर. एफ. क्यू. में कुछ भी नहीं है।

आर. एफ. क्यू. को पक्षों के बीच एक समझौता बनाने के लिए समझा जाएगा। आर. एफ. क्यू. खंडों में जो कुछ भी कहा गया है वह केवल इसके माध्यम से होगा

संभावित बोलीदाता को किए जाने वाले कार्य के बारे में जानकारी। बोली अपने आप में दो चरणों में थी- पहला पात्रता के स्तर पर था, और दूसरा प्रस्ताव के लिए अनुरोध के स्तर पर था (जिसे इसके बाद "आर. एफ. पी". के रूप में संदर्भित किया गया है)। चूंकि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच का संघ पहले चरण में योग्य था, इसलिए वे प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी आर. एफ. पी. दस्तावेज़ के तहत विचार किए जाने के हकदार थे।

प्रत्यर्थी संख्या 1, बोली प्रक्रिया भारतीय कानून द्वारा शासित होगी और मुंबई के न्यायालयों के पास उन विवादों पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा जो उक्त प्रक्रिया के तहत या उसके संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण खंड यह है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (प्रतिवादी) सं. 1) विशेष प्रयोजन वाहन और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच रियायत समझौता वास्तव में किए जाने के स्तर तक कोई कारण बताए बिना बोली प्रक्रिया को रद्द कर सकता है, जैसा कि यहां पहले कहा गया है। इसी तरह, जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है रियायत का मसौदा।

समझौता, जो आर. एफ. पी. दस्तावेज़ का हिस्सा है और इसलिए, कंसोर्टियम बोली का ही हिस्सा माना जाता है। रियायत समझौते के इस मसौदे में निम्नलिखित शर्तों में एक मध्यस्थता खंड शामिल थाः

" 19.1 सौहार्दपूर्ण समझौता

यदि कोई विवाद या मतभेद या किसी भी प्रकार के दावे उत्पन्न होते हैं

किसी के निर्माण, व्याख्या या अनुप्रयोग के संबंध में रियायत प्राधिकरण और रियायत प्राप्तकर्ता के बीच नियम और शर्तें या इस समझौते से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाला कोई भी मामला या चीज या इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष के अधिकार, कर्तव्य या देनदारियां, पी. एस. ए. एम. बी. ए. आई. निवेश पी. टी. ई.

लिमिटेड। वी. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एफ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट [आर. एफ. नरीमन। जे.]

चाहे इस समझौते की समाप्ति से पहले या बाद में, पक्षकार किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, इस तरह के विवाद, मतभेद या दावे को उनके बीच चर्चा द्वारा हल करने के प्रयास में तुरंत एक साथ मिलेंगे। XXX

19.3 मध्यस्थता

(क) मध्यस्थ पारस्परिक सहमति से पार्टियों द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ की सहायता से सौहार्दपूर्ण निपटान और/या निपटान में विफल रहने पर, विवाद या मतभेद या दावे, जैसा भी मामला हो, अंततः मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत बाध्यकारी मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाएंगे। जब तक पक्षकार आपस में अन्यथा सहमत नहीं होते हैं, मध्यस्थता के आह्वान के 30 (तीस) दिनों के भीतर, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मध्यस्थता के नियम मध्यस्थता पर लागू होंगे। मध्यस्थता तीन मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा की जाएगी, एक प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा और तीसरा, जो के रूप में कार्य करेगा

नियुक्त तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा जो 'पीठासीन मध्यस्थ' के रूप में कार्य करेगा। यदि दूसरा पक्ष अनुरोध प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर दूसरा मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है। ऐसा करने के लिए, प्रथम पक्ष द्वारा इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ विवादों का निर्णय 'एकमात्र मध्यस्थ' के रूप में करेगा।

(ख) मध्यस्थता का स्थान

मध्यस्थता का स्थान भारत में रियायत प्राधिकरण का मुख्यालय होगा।

((c) अंग्रेजी भाषा

मध्यस्थता के लिए अनुरोध, अनुरोध का उत्तर, संदर्भ की शर्तें, कोई भी लिखित प्रस्तुति, कोई भी आदेश और निर्णय अंग्रेजी में होंगे और यदि मौखिक सुनवाई होती है, तो सुनवाई में अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति सहित मध्यस्थता के भीतर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, साक्ष्य के नियम जो लागू होने हैं, वे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार होंगे। (ई)

पुरस्कार का प्रवर्तन

मध्यस्थता के परिणामस्वरूप कोई भी निर्णय या पुरस्कार अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। यहाँ पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि मध्यस्थता कार्यवाही या उनकी संपत्तियों के पक्षकारों के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार लागू किया जा सकता है जहाँ भी वे पाए जा सकते हैं और मध्यस्थता पुरस्कार पर निर्णय किसी भी अदालत में दर्ज किया जा सकता है

जिसकी अधिकारिता हो।

(च) शुल्क और व्यय

मध्यस्थों की फीस और खर्च और मध्यस्थता के अन्य सभी खर्च प्रारंभिक रूप से वहन किए जाएंगे और मध्यस्थों द्वारा निर्धारण के अधीन संबंधित पक्षों द्वारा समान रूप से भुगतान किया जाएगा। मध्यस्थ पक्ष द्वारा किए गए कानूनी शुल्क और खर्चों सहित मध्यस्थता दावे को लाने या बचाव करने में सफल पक्ष को उसकी लागतों और खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए मध्यस्थता पुरस्कार में प्रदान कर सकते हैं।

मध्यस्थता के दौरान प्रदर्शन

किसी विवाद, मतभेद या दावे पर प्रस्तुत करने और/या निर्णय के लंबित रहने या मध्यस्थता पुरस्कार प्रकाशित होने तक, पक्ष इस समझौते के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन करना जारी रखेंगे। इस तरह के पुरस्कार के अनुसार अंतिम समायोजन के लिए पूर्वाग्रह के बिना।

4. समान रूप से यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आर. एफ. पी. और रियायत समझौते के मसौदे के बीच कोई विसंगति है, तो मसौदा

रियायत समझौता आर. एफ. पी. पर हावी हो जाएगा। आर. एफ. पी. भी बात करता है

संघ की वित्तीय बोली स्वीकार किए जाने की स्थिति में दिया जाने वाला पुरस्कार पत्र। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस अनुसूची के तहत जो आर. एफ. क्यू. के साथ-साथ आर. एफ. पी. दोनों के साथ संलग्न है, जो बोली प्रक्रिया का संकेत देती है, बोली प्रक्रिया में अंतिम चरण के रूप में पुरस्कार पत्र के बाद रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। चूँकि यह अनुसूची महत्वपूर्ण है और दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा इस पर भरोसा किया गया है, इसलिए आर. एफ. क्यू. की अनुसूची नीचे दी गई है:

पी. एस. ए. मम्बाई निवेश पी. टी. ई. लिमिटेड। वी. बोर्ड ऑफ टी. आर. एफ. द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट [आर. एफ. नरीमा

1.3 बोली प्रक्रिया की अनुसूची

प्राधिकरण का पालन करने का प्रयास करेगा

अनुसूचीः

घटना का विवरण

तिथि

योग्यता चरण

1. प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि

30 मार्च, 2009

2. पूर्व-आवेदन सम्मेलन

15 अप्रैल 2009

3. आवेदन की अंतिम तिथि

30 अप्रैल 2009

4 . छोटी सूची की घोषणा

की जाएगी घोषणा

बोली चरण

अनुमानित तिथि

निर्दिष्ट किया जाना है

1 . बोली दस्तावेजों की बिक्री

2. प्राप्त करने की अंतिम तिथि

निर्दिष्ट किया जाना है

सवाल-जवाब

निर्दिष्ट किया जाना है

3. बोली-पूर्व बैठक-1

4. प्राधिकरण प्रश्नों का जवाब देता है

नवीनतम

निर्दिष्ट किया जाना है

निर्दिष्ट किया जाना है

5 . बोली-पूर्व बैठक-2

निर्दिष्ट किया जाना है

6. बोली लगाने की नियत तिथि 7. बोलियों का उद्घाटन

देय बोली पर

30 दिनों के भीतर सी

8. पुरस्कार पत्र (एल. ओ. ए.)

नियत तिथि

9. बोलियों की वैधता

120 बोली के दिन

तिथि

10. रियायत पर हस्ताक्षर

30 दिनों के भीतर सी

समझौता

एलओए का

5. अंततः, कंसोर्टियम की बोली दिनांक 15.10.2010 डब्ल्यू के रूप में

वित्तीय दृष्टिकोण से सबसे अनुकूल, ए

डी दिनांकित 26.09.2011 उत्तरदाता सं.

ओर्टियम, जिसे कंसोर्टियम [2018] 13 एस. सी. आर. द्वारा विधिवत मान्यता दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. इस बीच, पक्षों के बीच सटीक स्टाम्प शुल्क के बारे में कुछ समस्याएं सामने आईं, और चूंकि रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी हुई, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 ने बोली प्रक्रिया से बाहर निकलने का फैसला किया।

यह अपीलार्थी द्वारा 02.04.2012 दिनांकित एक पत्र द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को सूचित किया गया था। 30.04.2012 दिनांकित एक पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने संकेत दिया कि अपीलकर्ता, जिसे अब एकमात्र बोलीदाता के रूप में छोड़ दिया जाएगा, को प्रवेश करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन का संकेत देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अनुबंध को रियायत समझौते के मसौदे के रूप में निष्पादित करना। हालांकि, पत्र ने इस शर्त को जहाजरानी मंत्रालय पर लगा दिया

स्वीकृति के अनुसार। इस तरह की मंजूरी की प्रत्याशा में, 30.05.2012 दिनांकित एक पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने प्रतिवादी संख्या 1 को लिखा जिसमें कहा गया था कि उसने वास्तव में, रियायत समझौते को निष्पादित करने और निष्पादित करने के लिए एक अन्य विशेष प्रयोजन वाहन को शामिल किया था। इस बीच, अपीलार्थी को दिनांक 1 दिनांकित एक पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि जहाजरानी मंत्रालय ने अपीलार्थी के अनुरोध के अनुसार संघ से एकल इकाई में परिवर्तन को मंजूरी नहीं दी थी।

7. यह मामला होने के कारण, 18.09.2012 पर, संघ द्वारा दी गई बोली प्रतिभूति को उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा भुनाया गया था

लंबित है। इस स्तर पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दिनांकित 12.09.2012 के कारण दिखाएँ नोटिस द्वारा, संघ को बोली के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था जैसा कि मूल रूप से सहमति हुई थी। चूँकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए 16.10.2012 दिनांकित एक पत्र द्वारा, अपीलार्थी द्वारा 26.09.2011 पर दिए गए और स्वीकार किए गए पुरस्कार पत्र को प्रत्यर्थी द्वारा "वापस ले लिया गया" था। नं. 1। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांकित 26.11.2014 के एक पत्र में रु। 446.28 नुकसान के रूप में करोड़

कंसोर्टियम, और दिनांक 18.02.2015 पर एक मध्यस्थता नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया था कि इसके अनुसार, रियायत समझौते के मसौदे का खंड 19 पक्षों को नियंत्रित करने वाला मध्यस्थता खंड होगा, और वे बॉम्बे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी. जी. पलशिकर को अपने पद पर नियुक्त कर रहे थे।

मध्यस्थ। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 को बुलाया गया था इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपने मध्यस्थ की नियुक्ति करें। दिनांक 29.04.2015 के उत्तर द्वारा, अपीलार्थी ने कहा कि चूंकि पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं किया गया था, इसलिए रियायत समझौते के मसौदे का खंड 19 पक्षों को नियंत्रित नहीं करेगा और संकेत दिया कि यदि -

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सहमति व्यक्त की, एक मध्यस्थता समझौता किया जा सकता है

विभिन्न आधारों पर उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए पक्षों के बीच समझौता करना। दिनांकित 04.07.2015 के इस पत्र के अपने जवाब से, प्रत्यर्थी संख्या 1 एम/एस पी. एस. ए. एम. यू. एम. बी. ए. आई. निवेश पी. टी. ई., लिमिटेड।

यह दोहराना जारी रखा कि यह रियायत समझौते के मसौदे में मध्यस्थता खंड द्वारा शासित था और क्योंकि 30 दिन बीत चुके थे और अपीलार्थी द्वारा कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया था, और जैसा कि उक्त खंड में प्रावधान किया गया था

न्यायमूर्ति पलशिकर पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेंगे। 8. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 16 के तहत एक आवेदन तब अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि पक्षों के बीच समझौते के माध्यम से कोई मध्यस्थता खंड नहीं बनाया गया था।

और यह कि, किसी भी मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा भरोसा किया गया मध्यस्थता खंड उन विवादों के रूप में विधेयक में फिट नहीं होगा जो उस खंड के तहत केवल एक रियायत समझौते से संबंधित थे जो अभी तक दर्ज नहीं किए गए थे, वे पक्ष जो प्रत्यर्थी संख्या 1 और एक विशेष उद्देश्य वाहन होंगे, न कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2। विद्वान मध्यस्थ ने अपीलार्थी से सहमति व्यक्त की और कहाः

" 25. योग्यता के लिए अनुरोध एक अनुरोध है न कि एक अनुबंध। इसी तरह प्रस्ताव के लिए अनुरोध भी अनुरोध है न कि अनुबंध के लिए।

दोनों दावेदार द्वारा उत्तरदाताओं से उनकी योग्यता और प्रस्ताव के लिए किए गए अनुरोध हैं। इसमें किसी भी मध्यस्थता खंड का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है और न ही है। इसी तरह एल. ओ. ए. में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है और इसलिए ऐसा कोई अनुबंध नहीं है जिसमें मध्यस्थता खंड को शामिल करने वाले दस्तावेज़ का संदर्भ हो। वास्तव में, आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. दोनों के खंड 6 (1) में यह प्रावधान है कि मुंबई के न्यायालयों के पास सभी के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

बोली प्रक्रिया के तहत, उसके अनुसार या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि यह एक दस्तावेज है जिसका उल्लेख किया गया है।

कोई भी मध्यस्थता खंड।

26. इस तथ्य पर विचार करना भी आवश्यक होगा कि स्वीकृति पत्र दावेदार द्वारा इसके द्वारा तथ्यात्मक रूप से वापस ले लिया गया था दिनांक 16 अक्टूबर 2012 का संचार। इस पत्र में पैराग्राफ 4 में इस प्रकार देखा गया हैः

" कंसोर्टियम पुरस्कार पत्र के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है और रियायत पर हस्ताक्षर करने में विफल रहा है

उसे दिए गए समय के भीतर समझौता। "[2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. फिर पैराग्राफ 6 में यह निम्नानुसार कहा गया हैः " उक्त परिवर्तन प्रस्ताव में बदलाव का गठन करता है और प्रस्तावित मसौदा रियायत समझौते में भी बदलाव का गठन करता है।

निष्पादित करने के लिए। जे. एन. पी. टी. द्वारा रियायत समझौते के मसौदे में उक्त विचलन को स्वीकार नहीं किया जाता है। बोली चरण पुरस्कार पत्र जारी करने के साथ समाप्त हो गया है और आगे कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।

एल. ओ. ए. जारी होने के बाद स्वीकार किया गया।

28. फिर पैराग्राफ 9 में कहा गया है कि उत्तरदाताओं द्वारा देरी और चूक को देखते हुए पुरस्कार पत्र को अमान्य कर दिया गया है।

और एतद्वारा वापस लिया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस तरह की निकासी के बाद कोई दस्तावेज या अनुरोध भी मौजूद नहीं हो सकता है जो

यह कहा जा सकता है कि किसी अनुबंध में शामिल किया गया है, वास्तव में भी रियायत समझौते पर किसी भी पक्ष द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और इसलिए किसी दस्तावेज या अनुबंध का कोई दस्तावेज या संदर्भ नहीं है, जिसका अस्तित्व आवश्यकता को पूरा कर सकता है

अधिनियम की धारा 7 (5) "।

9. उक्त आदेश के खिलाफ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी।

जिसमें विद्वान मध्यस्थ के आदेश को अलग कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षकारों के बीच एक संपन्न अनुबंध है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा पुरस्कार पत्र स्वीकार कर लिया गया था, और चूंकि मध्यस्थता खंड दोनों पक्षों के बीच बोली दस्तावेज का एक हिस्सा है। पक्षकार, मध्यस्थता खंड पक्षकारों को नियंत्रित करेगा। यह इंगित किया जा सकता है कि अपीलार्थी की ओर से एक वैकल्पिक तर्क दिया गया था कि भले ही यह कहा गया था कि पक्षकार विचाराधीन मध्यस्थता खंड द्वारा शासित थे, फिर भी, खंड में "अप्रभावी" था

10. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल ने हमारे समक्ष विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं। के अनुसार आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. के विस्तृत अध्ययन पर, पहली बात जो किसी को प्रभावित करती है, वह यह है कि दोनों दस्तावेजों में एक अस्वीकृति है जो स्पष्ट रूप से बताती है कि किसी भी दस्तावेज़ को पक्षों के बीच एक समझौते के रूप में नहीं माना जाएगा। दूसरा, वह आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. दोनों में अनुसूची और "बोली प्रक्रिया" की परिभाषा पर दृढ़ता से निर्भर करता है जो मैसर्स पी. एस. ए. एम. बी. ए. आई. इन्वेस्टमेंट्स पी. टी. ई. में दर्शाता है।

लिमिटेड। वी. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट [आर. एफ. नरीमन। जे.]

कम से कम जहां तक वर्तमान निविदा का संबंध है, पुरस्कार पत्र दिए गए प्रस्ताव की अयोग्य स्वीकृति नहीं है, बल्कि अनुबंध का इंतजार करना पड़ता है।

आर. एफ. क्यू. के साथ-साथ आर. एफ. पी. दोनों के तहत पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने का अधिकार क्षेत्र। इसके बाद ही यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 और विशेष प्रयोजन वाहन के बीच रियायत समझौता किया जाता है तो मध्यस्थता खंड उन दोनों पक्षों के बीच अनुबंध के प्रदर्शन में रियायत समझौते के बाद उत्पन्न होने वाले विवादों को नियंत्रित करेगा। उन्होंने आर. एफ. पी. दस्तावेज़ में एक खंड पर भी दृढ़ता से भरोसा किया जिसने आगे कहा यह स्पष्ट है, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 रियायत समझौते में प्रवेश करने के चरण तक बोली प्रक्रिया को रद्द कर सकता था, लेकिन उसके बाद नहीं। उन्होंने उस दिनांकित 16.10.2012 पत्र पर भी दृढ़ता से भरोसा किया, जिसके द्वारा पहले दिए गए पुरस्कार पत्र को "वापस" ले लिया गया था, जिससे पता चलता है कि पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, अन्यथा उपयोग की गई अभिव्यक्ति होती

" समाप्त "। उन्होंने ड्रेसर रैंड एस. ए. बनाम ड्रेसर रैंड एस. ए. बनाम ड्रेसर रैंड एस. ए. बनाम

प्राइवेट लिमिटेड (उपर्युक्त) को केवल उन प्रश्नों का निर्णय करना था जो रियायत समझौते के तहत उत्पन्न हो सकते हैं और जो कभी नहीं किए गए, और प्रत्यर्थी संख्या 1 और विशेष प्रयोजन वाहन के बीच, न कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच। उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि यह तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार या जवाब नहीं दिया है।

11. श्री दुशांत दवे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता,

उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से हमें आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. के माध्यम से ले जाया गया और उसी के विभिन्न खंडों पर भरोसा किया गया। उन्होंने हमें अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच हुए दिनांकित संयुक्त बोली समझौते के बारे में भी बताया। उनके अनुसार, आर. एफ. पी. का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि दोनों के बीच असंगति की स्थिति में रियायत समझौते का मसौदा आर. एफ. पी. पर हावी हो जाएगा। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता खंड उन्हें नियंत्रित करता है, इसलिए मुंबई में न्यायालयों के असंगत खंड में इसलिए, अनन्य अधिकार क्षेत्र नुकसान के रास्ते से बाहर हो जाएगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान मामले में बोलीदाता ने न केवल अपने पक्ष में पुरस्कार पत्र को स्वीकार किया था, जो पक्षों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध था, बल्कि उन्होंने रियायत समझौते के मसौदे के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए थे, जो दर्शाता है कि वे, इसलिए, उसमें निहित मध्यस्थता खंड द्वारा शासित होंगे। उन्होंने इस तथ्य पर दृढ़ता से भरोसा किया कि यह कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि यदि बोली प्रक्रिया के दौरान विवाद उत्पन्न होते हैं, तो प्रतिवादी संख्या 1 को मध्यस्थता प्रक्रिया के बजाय अदालत में ले जाना होगा और हमें समझौते को दोनों में देखने के लिए कहा।

इसके उद्देश्य के अनुसार और एक वाणिज्यक व्यक्ति के रूप में इसे देखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूनिसी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में इस अदालत का सीधा फैसला।

शिक्षा और अनुसंधान, (2009) 1 एस. सी. सी. 107 के तथ्यों को नियंत्रित करेगा

यह मामला उससे बहुत मिलता-जुलता है। उन्होंने एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) निर्णय के पैरा 24 (वी) पर भी दृढ़ता से भरोसा किया ताकि यह संकेत दिया जा सके कि तथ्यों के आधार पर वे इस उप-पैरा में निर्धारित अनुपात के भीतर आएंगे। उन्होंने अपने एल. आर. बनाम टी. अश्वथ नारायण द्वारा कोल्लीपारा श्रीरामुलु (मृत) में इस अदालत के फैसले पर भी दृढ़ता से भरोसा किया।

(मृत) उनके एल. आर. और अन्य द्वारा, (1968) 3 एस. सी. आर. 387 में कहा गया है कि केवल इसलिए कि पार्टियों के बीच भविष्य में एक औपचारिक अनुबंध करना पड़ सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि भविष्य में ऐसा औपचारिक अनुबंध नहीं किया जाता है, तो तथ्यों पर एक समझौता अन्यथा स्थापित नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार, वर्तमान मामले के तथ्य इस फैसले के अनुपात में आते हैं। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि यह मानते हुए भी कि पी. एस. ए. एम. बी. ए. आई. निवेश पी. टी. ई., लिमिटेड।

वी. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एफ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट [आर. एफ. नरीमन। जे.]

अदालत का फैसला गलत था, हमें अपना प्रयोग नहीं करना चाहिए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र

तथ्य यह है कि, अपीलार्थी के आचरण के परिणामस्वरूप, इस तथ्य से राजस्व हानि का पता चला है कि अपीलार्थी के बीच एक नई निविदा में अब 49.2 के राजस्व साझाकरण अनुपात को कम कर दिया गया है।

उत्तरदाता संख्या 1 से 35 तकः 65 .

12. दोनों पक्षों की ओर से विद्वान वकील को सुनने के बाद, आर. एफ. पी. के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को निर्धारित करना उचित नहीं है।

" अस्वीकरण

प्रस्ताव दस्तावेज ("आर. एफ. पी".) के लिए इस अनुरोध में निहित जानकारी या बाद में बोलीदाताओं को प्रदान की गई जानकारी, चाहे

मौखिक रूप से या दस्तावेजी रूप में या प्राधिकरण या उनके किसी भी कर्मचारी या सलाहकार द्वारा या उनकी ओर से किसी अन्य रूप में बोलीदाताओं को इस आर. एफ. पी. में निर्धारित नियमों और शर्तों और ऐसे अन्य नियमों और शर्तों पर प्रदान किया जाता है जिनके अधीन ऐसी जानकारी दी जाती है।

प्रदान किया गया। यह आर. एफ. पी. कोई समझौता नहीं है और न तो संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा कोई प्रस्ताव और न ही निमंत्रण है। इस आर. एफ. पी. का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो इस आर. एफ. पी. ("बोली") के अनुसार अपने वित्तीय प्रस्ताव देने में उनके लिए उपयोगी हो सकती है। इस आर. एफ. पी. में बयान शामिल हैं, जो विभिन्न मान्यताओं और आकलनों को दर्शाते हैं।

परियोजना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पहुँचा गया। इस तरह

धारणाओं, आकलनों और बयानों में वे सभी जानकारी शामिल नहीं होती हैं जिनकी प्रत्येक बोलीदाता को आवश्यकता हो सकती है। यह आर. एफ. पी. हो सकता है यह सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है और प्राधिकरण, उसके कर्मचारियों या सलाहकारों के लिए निवेश पर विचार करना संभव नहीं है।

इस आर. एफ. पी. को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष के उद्देश्य, वित्तीय स्थिति और विशेष आवश्यकताएँ। इस आर. एफ. पी. में निहित धारणाएं, आकलन, कथन और जानकारी, विशेष रूप से [व्यवहार्यता रिपोर्ट], पूर्ण, सटीक, पर्याप्त या पर्याप्त नहीं हो सकती है।

सही है। इसलिए प्रत्येक बोलीदाता को अपना खुद का संचालन करना चाहिए।

जाँच और विश्लेषण और सटीकता की जाँच करनी चाहिए,

पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता

धारणाएँ, आकलन, कथन और निहित जानकारी

इस आर. एफ. पी. में और उपयुक्त से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करें

स्रोतों।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस आर. एफ. पी. में बोलीदाताओं को प्रदान की गई जानकारी कई मामलों पर है, जिनमें से कुछ कानून की व्याख्या पर निर्भर करती है। दी गई जानकारी वैधानिक आवश्यकताओं का एक विस्तृत विवरण नहीं है और इसे कानून का पूर्ण या आधिकारिक विवरण नहीं माना जाना चाहिए। प्राधिकरण स्वीकार करता है कि नहीं

प्राधिकरण, उसके कर्मचारी और सलाहकार कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और किसी भी कानून, क़ानून, नियमों या विनियमों या अपकृत्य, पुनर्स्थापन के सिद्धांतों या अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यथा के तहत किसी भी आवेदक या बोलीदाता सहित किसी भी व्यक्ति के लिए उनका कोई दायित्व नहीं होगा। कोई हानि, क्षति, लागत या व्यय जो इस आर. एफ. पी. में या अन्यथा निहित किसी भी चीज़ के कारण उत्पन्न हो सकता है या हो सकता है या हो सकता है, जिसमें सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता शामिल है,

आर. एफ. पी. की पूर्णता या विश्वसनीयता और कोई भी मूल्यांकन, धारणा, कथन या उसमें निहित या समझी गई जानकारी

इस आर. एफ. पी. का हिस्सा बनना या इस बोली चरण में किसी भी तरह से उत्पन्न होना।

XXX प्राधिकरण किसी भी प्रकृति का कोई दायित्व भी स्वीकार नहीं करता है, चाहे वह लापरवाही के परिणामस्वरूप हो या अन्यथा इस आर. एफ. पी. में निहित बयानों पर किसी भी बोलीदाता की निर्भरता के कारण हो।

इस आर. एफ. पी. के मुद्दे का मतलब यह नहीं है कि प्राधिकरण परियोजना के लिए एक बोलीदाता का चयन करने या चयनित बोलीदाता या रियायत प्राप्तकर्ता को नियुक्त करने के लिए बाध्य है और प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी बोलीदाता या बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बोलीदाता इससे संबंधित या उससे संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा।

प्राधिकरण द्वारा या उसकी बोली के संबंध में या उससे संबंधित कोई अन्य लागत। ऐसी सभी लागतें और खर्च बोलीदाता के पास रहेंगे और प्राधिकरण इसके लिए या किसी अन्य लागत या अन्य खर्चों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। बोली प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना बोली की तैयारी या जमा करने में बोलीदाता द्वारा किया गया खर्च। पी. एस. ए. मम्बाई निवेश पी. टी. ई.

लिमिटेड। वी. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एफ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट [आर. एफ. नरीमन। जे.]

XXX

" 1.1. 2 चयनित बोलीदाता, जो या तो निगमित कंपनी है

एक दीर्घकालिक रियायत समझौते ("रियायत समझौता") के प्रावधान जो चयनित बोलीदाता और प्राधिकरण के बीच प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए प्रपत्र में किए जाने हैं। XXX

सेवाओं के दायरे को किसी भी तरह या तरीके से सीमित करने के रूप में व्याख्या की गई और रियायत समझौते में उल्लिखित रियायत प्राप्तकर्ता के दायित्व या काम के दायरे में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्तन, पूरक या स्पष्ट करने के प्राधिकरण के अधिकार, इस आर. एफ. पी. या इसकी शर्तों के अनुसार दी जाने वाली रियायत या इसमें निहित हैं। नतीजतन, इस आर. एफ. पी. सहित बोली दस्तावेजों में किसी भी चूक, संघर्ष या विरोधाभास को नोट किया जाना चाहिए, व्याख्या की जानी चाहिए और इस इरादे को प्रभावी बनाने के लिए उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए, और उस खाते पर किसी भी दावे पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

XXX

प्राधिकरण के प्राधिकरण/सलाहकार ("व्यवहार्यता रिपोर्ट") को भी शामिल किया गया है। खंड 2 के प्रावधानों के अधीन। 3 , द. उपरोक्त दस्तावेज़ और इस आर. एफ. पी. दस्तावेज़ के बाद जारी किए गए किसी भी परिशिष्ट को, लेकिन बोली की नियत तारीख से पहले, बोली दस्तावेजों का हिस्सा माना जाएगा।

XXX

1.2. 6 बोली चरण के दौरान, बोलीदाताओं को परियोजना की अधिक विस्तार से जांच करने और अपनी लागत पर, ऐसे अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो पुरस्कार के लिए अपनी संबंधित बोलियां जमा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

परियोजना के कार्यान्वयन सहित रियायत।

1.2. 7 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बोलीदाता द्वारा प्राधिकरण के साथ साझा किए जाने वाले राजस्व के प्रतिशत के आधार पर बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं।

परियोजना। रियायत अवधि पूर्व निर्धारित होती है, जैसा कि रियायत समझौते में दर्शाया गया है। बोली के मूल्यांकन के लिए एकमात्र मानदंड राजस्व का हिस्सा होगा। खंड 2.16 के अधीन रहते हुए,

परियोजना को सबसे अधिक राजस्व हिस्से का हवाला देते हुए बोलीदाता को प्रदान किया जाएगा।

XXX

1.3 बोली प्रक्रिया की अनुसूची

प्राधिकरण निम्नलिखित अनुसूची का पालन करने का प्रयास करेगाः	घटना का विवरण तिथि
1. प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निर्दिष्ट किया जाना है
	निर्दिष्ट किया जाना है
2. प्राधिकरण प्रश्नों का जवाब देता है नवीनतम	
3. बोली-पूर्व बैठक-1	निर्दिष्ट किया जाना है
	निर्दिष्ट किया जाना है
4. बोली-पूर्व बैठक-2	
5. बोली लगाने की नियत तिथि	

	22 जुलाई 2010
6. बोलियों का उद्घाटन	
	बोली की नियत तिथि पर
7. पुरस्कार पत्र (एल. ओ. ए.)	
	बोली के 30 दिनों के भीतर
	नियत तिथि
8. बोलियों की वैधता	
	120 बोली के देय दिन
	तिथि
9. रियायत पर हस्ताक्षर	
	30 दिनों के भीतर
	एल. ओ. ए. पुरस्कार
समझौता	

XXX पी. एस. ए. एम. बी. आई. निवेश पी. टी. ई. लिमिटेड। वी. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एफ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट [आर. एफ. नरीमन। जे.]

2.1. 4 इस आर. एफ. पी. में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, रियायत समझौते के मसौदे में निर्दिष्ट विस्तृत शर्तों का प्रबल प्रभाव होगा, बशर्ते कि इसके तहत बोलीदाता पर लगाई गई कोई भी शर्त या दायित्व रियायत समझौते के तहत उसके दायित्वों के अलावा प्रभावी बने रहेंगे।

XXX

बोली चरण के दौरान प्राधिकरण द्वारा संघ की अनुमति केवल वहाँ दी जा सकती है जहाँः क) प्रमुख सदस्य संघ का प्रमुख सदस्य बना रहेगा;

बी) तकनीकी क्षमता और वित्तीय क्षमता के संदर्भ में, विकल्प कम से कम संघ के सदस्य के बराबर है, जिसे प्रतिस्थापित करने की मांग की जाती है और संशोधित संघ आवेदकों के लिए पूर्व-योग्यता और लघु-सूची मानदंडों को पूरा करना जारी रखेगा; और

2.2. 2 संघ की संरचना में परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्राधिकरण के विवेकाधिकार पर होगा और इसे अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में।

XXX 2.5. 2 यह माना जाएगा कि बोली जमा करके बोलीदाता के पास हैः

बोली की पूरी और सावधानीपूर्वक जांच की

ए। दस्तावेज़;

बी। प्राधिकरण से अनुरोध की गई सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की;

सी। बोली दस्तावेजों में प्रदान की गई या प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा दी गई जानकारी में अपर्याप्तता, त्रुटि या गलती के जोखिम को स्वीकार किया और स्वीकार किया।

खंड 2.5 में निर्दिष्ट मामले।

डी। खंड 2 में निर्दिष्ट मामलों सहित सभी मामलों, चीजों और सूचनाओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया। 1 ऊपर से आवश्यक और

एक सूचित बोली जमा करने, बोली दस्तावेजों के अनुसार परियोजना के निष्पादन और उसके तहत अपने सभी दायित्वों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक;

ई. स्वीकार किया और सहमति व्यक्त की कि अपर्याप्तता, पूर्णता की कमी या बोली दस्तावेजों में प्रदान की गई जानकारी की गलतता या खंड 2.5 में निर्दिष्ट किसी भी मामले की अज्ञानता। 1 इसमें ऊपर दिए गए मुआवजे, नुकसान, अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए समय बढ़ाने, लाभ की हानि आदि के किसी भी दावे का आधार नहीं होगा। प्राधिकरण से; या रियायत समझौते की समाप्ति के लिए एक आधार; और, एफ. इसके तहत और इसके संदर्भ में इसके द्वारा प्रदान किए गए उपक्रमों से बाध्य होने पर सहमति व्यक्त की।

XXX

XXX 2.7. 2 बोली दस्तावेजों के हिस्से के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाने वाले रियायत समझौते के मसौदे को इस आर. एफ. पी. का हिस्सा माना जाएगा।

XXX 2.11. 2 बोली के साथ दस्तावेजों को एक अलग लिफाफे में रखा जाएगा और "बोली के संलग्नक" के रूप में चिह्नित किया जाएगा। द.

दस्तावेज़ों में शामिल हैं:

निर्धारित प्रारूप में बोली प्रतिभूति (परिशिष्ट-II);

आई.

ii. निर्धारित प्रारूप में (परिशिष्ट-IV); और

iii. हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक पृष्ठ के साथ रियायत समझौते की एक प्रति-ख) निर्धारित प्रारूप में बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी (परिशिष्ट-III); पी. एस. ए. एम. बी. ए. आई. निवेश पी. टी. ई.।

लिमिटेड। वी. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एफ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट [आर. एफ. नरीमन। जे.]

iv. यदि लागू हो, तो ऊपर खंड (ख) में निर्दिष्ट पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसरण में बोली संघ के प्रमुख सदस्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी। XXX

2.14 बोली की सामग्री

2.14. 1 बोली परिशिष्ट-I के प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी।

और इसमें बोलीदाता द्वारा उद्धृत किया जाने वाला राजस्व हिस्सा शामिल होगा। बोलीदाता इस आर. एफ. पी. और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना को शुरू करने के लिए अपने द्वारा प्रस्तावित राजस्व हिस्से को (भारतीय रुपये में) निर्दिष्ट करेगा। 2.14. 2 यह परियोजना बोली लगाने वाले को सबसे अधिक राजस्व हिस्सेदारी का हवाला देते हुए प्रदान की जाएगी।

2.14. 3 बोलियों का उद्घाटन और उनकी स्वीकृति काफी हद तक इस आर. एफ. पी. के अनुसार होगी।

2.14. 4 प्रस्तावित रियायत समझौते को बोली का हिस्सा माना जाएगा।

उपचार जो प्राधिकरण को निम्नलिखित शर्तों के तहत या अन्यथा उपलब्ध हो सकता हैः क) यदि कोई बोलीदाता गैर-उत्तरदायी बोली प्रस्तुत करता है;

घ) चयनित बोलीदाता के मामले में, यदि वह निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विफल हो जाता है - आई.

रियायत समझौते और/या [2018] 13 एस. सी. आर. पर हस्ताक्षर करना।

ii. रियायत समझौते में निर्धारित अवधि के भीतर प्रदर्शन प्रतिभूति प्रदान करना; या ई) यदि चयनित बोलीदाता, रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रस्तुत करने से पहले इसका कोई उल्लंघन करता है

प्रदर्शन सुरक्षा।

XXX

3.3. 5 चयन के बाद, प्राधिकरण द्वारा चयनित बोलीदाता को एक पुरस्कार पत्र ("एल. ओ. ए".) जारी किया जाएगा और चयनित बोलीदाता, एल. ओ. ए. की प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, हस्ताक्षर करेगा और एल. ओ. ए. की डुप्लिकेट प्रति वापस करेगा।

इसकी स्वीकृति। यदि चयनित बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एल. ओ. ए. की डुप्लिकेट प्रति प्राप्त नहीं होती है

3.3. 6 चयनित बोलीदाता द्वारा उपरोक्त एल. ओ. ए. की स्वीकृति के बाद, यह खंड 1.3 में निर्धारित अवधि के भीतर रियायत समझौते को निष्पादित करेगा। चयनित बोलीदाता रियायत समझौते में किसी भी विचलन की मांग करने का हकदार नहीं होगा।

XXX

6.1 बोली प्रक्रिया भारत के कानूनों द्वारा नियंत्रित और उनके अनुसार समझी जाएगी और मुंबई के न्यायालयों के पास निम्नलिखित के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवादों पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगाः

बोली प्रक्रिया के अनुसार और/या उसके संबंध में।

13. उपरोक्त खंडों को एक साथ पढ़ने पर, कुछ चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं-(i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह स्पष्ट करता है कि केवल एक बोली प्रक्रिया चल रही है।पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्षों के बीच कोई अनुबंध नहीं है (ii) यह समान रूप से स्पष्ट है कि इस तरह की बोली प्रक्रिया उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा जारी किए जाने वाले पत्र को दो और कदमों के साथ समाहित कर लेगी, जिसमें रियायत समझौते के मसौदे से पहले की जाने वाली अनुसूची उत्तरदाता संख्या 1 और विशेष मेसर्स पी. एस. ए. एम. यू. एम. बी. ए. आई. निवेश पी. टी. ई. के बीच एक समझौता बन जाएगी।

लिमिटेड। वी. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट [आर. एफ. नरीमन। जे.]

इस उद्देश्य के लिए संघ द्वारा गठित उद्देश्य वाहन

(iii) बोली प्रक्रिया के पूरे चरण के दौरान, विवाद समाधान के लिए मंच विशेष रूप से मुंबई के न्यायालयों के पास है और (iv) रियायत समझौते में प्रवेश करने के चरण तक, बोली प्रक्रिया को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई भी कारण बताए बिना रद्द किया जा सकता है।

14. इसके अलावा, यह भी इंगित किया जा सकता है कि स्वयं दिनांकित 26.09.2011 के पुरस्कार पत्र को पढ़ने पर, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है,

वहः

" 3. आपको खंड 2.2 के अनुसार पूरी तरह से परियोजना ('रियायत') को लागू करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रयोजन वाहन को शामिल करने की आवश्यकता है। 6 आरएफक्यू दस्तावेज़।

4. खंड 2.20 के अनुसार। 5 आर. एफ. पी. दस्तावेज़ की आपकी बोली प्रतिभूति तब तक लागू और प्रभावी रहेगी जब तक कि रियायत प्रदान नहीं की जाती।

रियायत पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 90 दिनों के बाद <ID1 मिलियन (तीन हजार तीन सौ पचास मिलियन रुपये) के बराबर राशि की प्रदर्शन गारंटी समझौता।

6. कृपया ध्यान दें कि इस पुरस्कार पत्र के जारी होने के 30 दिनों के भीतर रियायत समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

इससे पता चलता है कि पुरस्कार पत्र के बाद भी, एक विशेष

केवल परियोजना को लागू करने के उद्देश्य से उद्देश्य वाहन स्थापित करना होगा, और इस विशेष उद्देश्य वाहन को रियायत कहा जाएगा। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा दी गई बोली प्रतिभूति तब तक लागू रहेगी जब तक कि विशेष प्रयोजन वाहन रुपये के बराबर राशि के लिए प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत नहीं करता है। 3350 मिलियन, और यह कि रियायत समझौते पर इस मुद्दे के जारी होने के 30 दिनों के भीतर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है

पुरस्कार पत्र।

15. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7 के तहत किसी प्रस्ताव को वादे में बदलने के लिए, स्वीकृति पूर्ण और अयोग्य होनी चाहिए। इस मामले के तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि पुरस्कार पत्र द्वारा कोई पूर्ण और अयोग्य स्वीकृति नहीं है-एक समझौता होने से पहले दो या तीन बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे जो पार्टियों के बीच एक अनुबंध के रूप में कानून में लागू करने योग्य होगा।

8] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. श्री अमित सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ड्रेसर रैंड एस. ए. (ऊपर) और भारत संचार दोनों पर भरोसा करने में पूरी तरह से सही हैं।

निगम लिमिटेड (ऊपर)। ड्रेसर रैंड एस. ए. (ऊपर) में तथ्यों पर यह पाया गया कि जब तक कोई खरीद आदेश नहीं दिया जाता, तब तक पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होगा। इस तरह के खरीद आदेश दिए जाने से पहले जो कुछ भी हुआ वह केवल एक अनुबंध की प्रस्तावना होगी जिसे अनुबंध के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय के पैरा 32 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया थाः

" 32. पार्टियाँ उन शर्तों पर सहमत होती हैं जिनके अधीन एक अनुबंध किया जाएगा, जब किया जाता है, तो अनुबंध में प्रवेश करने के समान नहीं है। इसी तरह, खरीद आदेश दिए जाने पर खरीद को नियंत्रित करने वाली शर्तों पर सहमत होना, खरीद आदेश देने के समान नहीं है। किसी अनुबंध की प्रस्तावना नहीं होनी चाहिए

स्वयं अनुबंध के साथ भ्रमित। दिनांक 10-6-1991 के संशोधन 4 का उद्देश्य यह था कि यदि और जब बी. आई. एन. डी. ए. एल. द्वारा खरीद आदेश दिया गया था, तो वह बी. आई. एन. डी. ए. एल. की "खरीद की सामान्य शर्तों" द्वारा नियंत्रित होगा, जैसा कि संशोधन 4 द्वारा संशोधित किया गया है। लेकिन जब कोई खरीद आदेश नहीं दिया गया, तो न तो "खरीद की सामान्य शर्तें" और न ही "खरीद की सामान्य शर्तों" में मध्यस्थता खंड प्रभावी या प्रवर्तनीय बन गया। इसलिए, डी. आर. और बी. आई. एन. डी. ए. एल. द्वारा 10-6-1991 पर "संशोधन 4" शुरू किया जा रहा है।

खरीद की सामान्य शर्तों में संशोधनों को शामिल करते हुए, पक्षों के बीच विवादों को निपटाने के लिए कोई मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में नहीं आया।

17. भारत संचार निगम में इस फैसले का पालन किया गया था।

सीमित (ऊपर), जो वर्तमान मामले के तथ्यों के समान है। उस मामले में बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के खंड 30 में कहा गया है कि दिल्ली के न्यायालयों को खरीद आदेश देने के लिए मंडलियों को प्राधिकरण पत्र जारी होने तक निविदा से उत्पन्न विवादों या दावों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसके बाद ही मध्यस्थता का प्रावधान करने वाले अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 20 लागू हो सकता है। यह मामला होने के कारण, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 23. दूसरी ओर, धारा III का बोली प्रक्रिया या आपूर्तिकर्ताओं के चयन से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन इसमें ऐसे प्रावधान शामिल थे जो प्रदर्शन को नियंत्रित करेंगे, यानी अनुबंध के नियम और शर्तें, यदि और कब खरीद आदेश देकर अनुबंध किए गए थे। मध्यस्थता खंड (खंड 20) एक है -

बोली दस्तावेजों की धारा III का हिस्सा।

पी. एस. ए. एम. बी. ए. आई. निवेश पी. टी. ई. लि. वी. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एफ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट [आर. एफ. नरीमन। जे.]

24. बोली दस्तावेजों की योजना के अनुसार, शर्तों का एक स्पष्ट विभाजन है जो निविदा प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा, और शर्तें जो अनुबंध को नियंत्रित करेंगी, जब बोलियां स्वीकार की जाएंगी। एक भाग ने निविदा प्रक्रिया को विनियमित किया जिसके कारण खरीद आदेश दिए गए। उस भाग में एक प्रावधान था कि यदि निविदा या बोली के चरण में कोई विवाद था तो विवाद समाधान का मंच क्या होना चाहिए। दूसरे भाग ने नियम और शर्तें निर्धारित कीं।

जो अनुबंध को नियंत्रित करेगा, यदि और कब खरीद आदेश दिए गए थे। उस भाग में यह भी प्रावधान था कि यदि बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के खंड 30 में अनुबंध किए जाने के बाद कोई विवाद हुआ था तो मंच क्या होना चाहिए, यह स्पष्ट करता है कि निविदा-चरण के विवादों के संबंध में, मंच दीवानी न्यायालय होगा।

दूसरी ओर सामान्य शर्तों के खंड 20 का उद्देश्य अनुबंध किए जाने पर काम करना था और यह निर्दिष्ट किया गया था कि यदि अनुबंधों के संबंध में विवाद उत्पन्न होते हैं, तो विवाद समाधान के लिए मंच मध्यस्थ न्यायाधिकरण होगा।

25. अनुबंध की सामान्य शर्तों (धारा III) का खंड 1 यह स्पष्ट करता है कि दस्तावेज़ की धारा III में निहित अनुबंध की सामान्य शर्तें माल की खरीद के लिए खरीदार द्वारा किए गए अनुबंधों में लागू होंगी। धारा III का खंड 20, जो कि मध्यस्थता खंड है, यह स्पष्ट करता है कि मध्यस्थता किसी भी प्रश्न, विवाद या विवाद के संबंध में उपलब्ध है। इस समझौते के तहत या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाला अंतर। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनुबंध की सामान्य शर्तें (धारा III) और उसमें खंड 20

मध्यस्थता, निविदा या बोली, या खरीद आदेश न देने के संबंध में किसी भी विवाद के संबंध में लागू नहीं होगी, लेकिन केवल बीएसएनएल द्वारा दिए गए किसी भी अनुबंध के संबंध में लागू होगी। खरीद आदेश।

27. यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बोली चरण में प्रासंगिक धारा II (बोलीदाताओं को निर्देश) और धारा IV (विशेष शर्तें) में कोई मध्यस्थता खंड नहीं है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि बोली/निविदा प्रक्रिया के संबंध में बी. एस. एन. एल. और बोलीदाता के बीच कोई विवाद है, तो विवाद का निपटारा मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। जिस पर दूसरी ओर, बोलीदाताओं को दिए गए निर्देश में एक विशिष्ट प्रावधान है कि यदि खरीद आदेश की नियुक्ति (प्राधिकरण जारी करने) तक निविदा से कोई विवाद या दावा उत्पन्न होता है, तो केवल अदालतें [2018] 13 एस. सी. आर.

अधिकार क्षेत्र होगा। बेशक, जब भी अपीलकर्ता बोली लगाने वाले को खरीद आदेश देता है, तो खरीद आदेश में एक शब्द होता है जिसमें अनुबंध की सामान्य शर्तें बोली का हिस्सा होती हैं।

दस्तावेज़ अनुबंध दस्तावेजों का एक हिस्सा होंगे, और इसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता खंड अनुबंधों पर लागू होगा

बीएसएनएल और बोली लगाने वालों के बीच।

XXX

29. इसलिए, केवल जब एक खरीद आदेश दिया गया था, एक 'अनुबंध' दर्ज किया जाएगा; और केवल जब एक अनुबंध में प्रवेश किया गया था, मध्यस्थता खंड सहित अनुबंध की सामान्य शर्तें

अनुबंध का हिस्सा बन जाएगा। यदि कोई खरीद आदेश नहीं दिया गया था, और इसके परिणामस्वरूप अनुबंध की सामान्य शर्तें

(धारा III) अनुबंध का हिस्सा नहीं बनी, धारा III की शर्तें जिनमें मध्यस्थता समझौता शामिल था, अस्तित्व में या संचालन में बिल्कुल नहीं आएंगी। दूसरे शब्दों में, धारा III में मध्यस्थता खंड एक मध्यस्थता समझौता नहीं था
वास्तव में, बोली प्रक्रिया के दौरान, लेकिन एक प्रावधान जो भविष्य में अस्तित्व में आने वाला था, यदि एक खरीद आदेश दिया गया था।

18. हालाँकि, श्री डेव ने अपने एल. आर. (सुप्रा) द्वारा कोल्लीपारा श्रीरामुलु (मृत) में दिए गए फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। इस फैसले ने किया

वास्तव में कहें कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि भविष्य के औपचारिक अनुबंध का केवल एक संदर्भ पक्षों के बीच एक बाध्यकारी सौदेबाजी को नहीं रोकेगा, अगर वास्तव में, ऐसा कोई सौदा है। इसके बाद फैसले में कहा गया कि "हालांकि, ऐसे मामले हैं कि क्या भविष्य के अनुबंध का संदर्भ ऐसी शर्तों में दिया गया है जो यह दर्शाता है कि पार्टियों का औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर होने तक बाध्य होने का इरादा नहीं था।"

19. हमारा विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्य

उपरोक्त वाक्य में निहित अनुपात द्वारा शासित किया जाएगा। जहाँ तक यूनिसी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय का संबंध है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त निर्णय के पैरा 15 में यह कहा गया है कि अपीलार्थी की निविदा को पी. जी. आई. द्वारा 41 पल्स ऑक्सीमीटर की आपूर्ति के लिए स्वीकार कर लिया गया था। चूँकि निविदा दस्तावेज़ में एक मध्यस्थता खंड था,

और चूंकि यह तथ्यों पर पाया गया था कि निविदा की स्वीकृति से एक बाध्यकारी अनुबंध किया गया था, इसलिए उसमें पक्षकार उपरोक्त खंड से बाध्य होंगे। यह भी कहा गया था कि, इसके अलावा, द्वारा प्रदर्शन

अपीलार्थी द्वारा सामग्री की आपूर्ति का तरीका और पी. जी. आई. द्वारा इसकी स्वीकृति भी की गई थी, जिससे पता चलेगा कि मैसर्स पी. एस. ए. एम. बी. ए. आई. इन्वेस्टमेंट्स पी. टी. ई. की निविदा।

लिमिटेड। वी. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट [आर. एफ. नरीमन। जे.]

20. श्री डेव ने आईनॉक्स विंड लिमिटेड बनाम थर्मोकेबल्स लिमिटेड, (2018) 2 एस. सी. सी. 519 के फैसले पर भी दृढ़ता से भरोसा किया। यह फैसला इसके बाद अनुच्छेद 17-19 में यह स्पष्ट किया गया कि एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में निर्धारित सामान्य नियम का एक अपवाद

(उपर्युक्त) मध्यस्थता खंडों वाले अभ्यास के मानक रूपों के बारे में व्यक्तिगत व्यक्तियों के बीच मानक रूपों में भी विस्तार किया जाएगा।

और न केवल पेशेवर मूल्यांकन के मानक रूप।

21. हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि इस फैसले का इस मामले के तथ्यों पर लागू होने का कोई तरीका नहीं होगा क्योंकि यह

हमारे द्वारा पाया गया कि वर्तमान मामले के तथ्यों में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट करता है कि रियायत समझौते के मसौदे में निहित मध्यस्थता खंड लागू नहीं होगा।

इस विवाद के साथ भी। 22. अब हम श्री दवे के अंतिम तर्क पर आते हैं कि इस धारणा पर कि उच्च न्यायालय का निर्णय गलत है, फिर भी हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

23. श्री डेव इस तथ्य पर भरोसा करते हैं कि बाद की निविदा स्वीकार कर ली गई है, जिससे उत्तरदाता संख्या 1 को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। श्री सिब्बल ने यह कहते हुए जवाब दिया कि बाद की निविदा में अलग-अलग निविदा शर्तें थीं और जहां तक उस बाद की निविदा का संबंध था, उनकी बोली को छह अन्य बोलीदाताओं में सबसे अच्छा माना गया था। इसके अलावा, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का निर्णय यह ठहराने में पूरी तरह से गलत है कि पुरस्कार पत्र एक [2018] 13 एस. सी. आर. का गठन करेगा।

ऊपर दिए गए कारणों के लिए पक्षों के बीच अनुबंध। यह मामले के तथ्यों में न्याय का उपहास है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और इसे दरकिनार कर देते हैं। नतीजतन, न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और विद्वान मध्यस्थ का आदेश है

1 .

अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए एक उपयुक्त मंच पर 6 करोड़ रुपये से अधिक के अपने दावे को आगे बढ़ाने के लिए खुला होगा, जो निर्णय लेगा कि

कानून के अनुसार अपने गुण।

अपील की

अनुमति दी गई।